मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2012 (चैत्र 2, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य के प्रश्न संख्या 13 (*क्र. 4663) - नगर निगम, ग्वालियर के पार्षद के आवेदन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के विरोधस्वरूप, कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 145 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 144 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 267-क (2) को शिथिल करके आज सदन की सहमति से नियम 267-क के अधीन 35 सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के ग्राम पंचायत नमावल वेगा परियोजना में शामिल न किये जाने,
(2) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम टेहटा की शाला में खेल मैदान न होने,
(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत गुना खेड़ी एवं अभयपुर में पेयजल संकट होने,
(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ नगर में अनियमित तरीके से भवन निर्माण होने,
(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के अनेक क्षेत्रों में प्रतिदिन जल प्रदाय न होने,
(6) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य की देवास जिले के ग्राम गढ़खजुरिया में तालाब का निर्माण पूर्ण न होने,
(7) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की राजेन्द्र ग्राम के बेनीवारी में सरई बीज का किसानों को भुगतान होने,
(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा से छूट दी जाने,
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर जिले के वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण होने,
(10) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले में स्वीमिंग पूल का निर्माण न होने,
(11) श्री रामदयाल अहिरवार,सदस्य की चन्दला के लवकुश नगर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माणाधीन कार्य बंद होने,
(12) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की रायसेन जिले के रेहटवास में एक व्यक्ति की हत्या होने,
(13) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की उज्जैन संभाग की शालाओं में अव्यवस्था होने,
(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की ग्वालियर जिले में शस्त्र लायसेंस निरस्त किये जाने,
(15) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सीहोर स्थित विद्यालय की प्राचार्य द्वारा विकलांग भृत्य की पिटाई करने,
(16) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा शहर में घरेलू गैस की कालाबाजारी होने,
(17) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर मंडल के कर्मचारियों को वेतन न मिलने,
(18) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले की पंचायत बंजारी के सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने,
(19) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य की खातेगांव क्षेत्र में विद्युत कटौती की जाने,
(20) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर क्रमांक 1 क्षेत्र में विद्युत कटौती होने,
(21) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
(22) श्रीमती उमा देवी खटीक, सदस्य की हटा क्षेत्र में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना न किये जाने,
(23) श्रीमती रेखा यादव, सदस्य की छतरपुर जिले के बक्सवाहा में पेयजल संकट होने,
(24) श्री कमलेश जाटव, सदस्य की अम्बाह से पिनाहट सड़क खराब होने,
(25) श्री मोती कश्यप, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पोस्ट शाहपुर से स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(26) श्री अजय सिंह, सदस्य (नेता प्रतिपक्ष) की दमोह जिले के मझगुवां हंशराज के कृषकों को पट्टे न दिये जाने,
(27) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की आचार्य ज्ञान आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर की मान्यता समाप्त की जाने,
(28) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल जिले के नरेला में विद्युत विभाग द्वारा केबल लाइन न डाली जाने,
(29) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के खैरलांजी की शालाओं का उन्नयन किये जाने,

(30) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा जिले के रामपुर कर्चुलियान के ग्रामों में स्थित हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
(31) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के मोहन गढ़ तहसील भवन में स्टॉफ न होने,
(32) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की प्रदेश शासन द्वारा पुत्र-पुत्रियों की पेंशन राशि बन्द की जाने,
(33) श्री मदन कुशवाह, सदस्य की महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने,
(34) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के जननी एक्सप्रेस में प्रसूता न ले जाये जाने तथा
(35) श्री शरद जैन, सदस्य की जबलपुर से सागर फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11,
(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने उनके विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2011,
(3) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का सप्तम वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11,
(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 2010-11 तथा
(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने उनके विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2012
पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 18 सूचनाओं में से प्रथम 5 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य ने बालाघाट जिले के जनपद पंचायत कटंगी अंतर्गत तालाब निर्माण में लगे मजदूरों को मजदूरी न मिलने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने जिला सहकारी बैंक भिण्ड द्वारा लीड संस्थाओं के प्रबन्धकों द्वारा अनियमितता के संबंध में कार्यवाही न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री का ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री रणवीर जाटव एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने सिवनी एवं भिण्ड जिले में ओला वृष्टि से हुई क्षति की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य ने खरगौन जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों को बंद किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य ने सीहोर जिले के ग्राम मझेड़ा निवासी गायब युवक की हत्या की आशंका की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उप पद (6) से (18) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की प्रदेश में रेत के भाव में वृद्धि होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(7) सर्वश्री रामनिवास रावत एवं पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की राजगढ़ जिले के कुशलपुरा सिंचाई परियोजना में मापदण्डों के अनुसार गेट न लगाये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में क्रेशर हेतु बनी दीवार गिरने से कई मजदूरों की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(9) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की शिवपुरी जिले के कोलारस तहसीलदार की प्रताड़ना से पटवारी द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम परीक्षा में सिंचाई हेतु पानी न मिलने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की रायसेन जिले के बेगमगंज फार्म हाउस में बलात्कार के बाद हत्या की घटना होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत एवं अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्यगण की भिण्ड जिले के मौ थाना पुलिस कर्मियों की फायरिंग से युवक की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह की मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में जबरिया नसबंदी आपरेशन किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्यगण की सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में रेत का अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(15) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में अज्ञात बदमाशों द्वारा वाहनों में आग लगाये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(16) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के ग्राम पंचायत पामाखेड़ी में बंदरों द्वारा फसल नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री उर्जा का वक्तव्य।

(18) श्री रणवीर जाटव, सदस्य की भिण्ड जिले के सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(2) श्री सुनील जायसवाल (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(4) श्री ताराचंद बावरिया (जिला-छिंदवाड़ा)
(5) श्री गौतम टेटवाल (जिला-राजगढ़)
(6) श्रीमती रेखा यादव (जिला-दमोह)
(7) डॉ. बाबूलाल वर्मा (जिला-भोपाल)

6. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 14, 15, 16 ,19, 20 एवं 21 मार्च, 2012 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(22) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार एक सौ छब्बीस करोड़, छिहत्तर लाख, छब्बीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए चार हजार छह सौ सत्रह करोड़, इकहत्तर लाख, पचासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त,घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए बहत्तर करोड़, सैंतालीस लाख, तीन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए तीन हजार तीन सौ पैंसठ करोड़, तिहत्तर लाख, नब्बे हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री सुदामा सिंह सिग्राम
(3) श्री दिलीप जायसवाल
(4) श्री राम गरीब कोल
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(7) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(8) श्री ताराचंद बावरिया
(9) श्री बालाराम बच्चन
(10) श्री पारस सकलेचा

(11) श्री नारायण पट्टा
(12) श्रीरामलाल मालवीय
(13) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(14) श्रीमती सुलोचना रावत
(15) श्री रामलखन सिंह

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(23) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए आठ सौ बहत्तर करोड़, तिरेपन लाख, सैंतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुरेश चौधरी
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(5) श्री गिरीश गौतम
(6) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(7) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(8) श्री नारायण प्रजापति
(9) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(10) श्री चेतराम मानेकर
(11) श्रीमती सुलोचना रावत
(12) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(14) श्री श्रीकांत दुबे

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. अध्यक्षीय व्यवस्था :

अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त, विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "विधान सभा के नियम 153 (2) के अनुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान हेतु नियत दिनों के अंतिम दिन आज 4 बजे अनुदानों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रश्न रखा जाना है। परन्तु अनुदानों की मांगों पर चर्चा की स्थिति को देखते हुए, इस नियम को शिथिल कर कार्यसूची के पद 5 में उल्लिखित सभी अनुदान की मांगों पर मतदान पूर्ण होने तक, समय में वृद्धि की जाये एवं अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जाये।"

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

8. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(24) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास के लिए दो हजार एक सौ सड़सठ करोड़, उनहत्तर लाख, अठासी हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्रीमती साधना स्थापक
(2) श्रीमती नीता पटैरिया
(3) श्रीमती सुलोचना रावत
(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(25) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 26	संस्कृति के लिए एक सौ बारह करोड़, सैंतालीस लाख, बयासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 32	जनसंपर्क के लिए एक सौ उनतीस करोड़, सतहत्तर लाख, अस्सी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 44	उच्च शिक्षा के लिए नौ सौ नवासी करोड़, नवासी लाख, सोलह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए तीन सौ इकतालीस करोड़, उनहत्तर लाख, नब्बे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए उन्नीस करोड़, अड़तीस लाख, पन्द्रह हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए तेरह करोड़, छत्तीस लाख, चार हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री प्रियव्रत सिंह
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(8) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(26) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए दो हजार दो सौ अड़सठ करोड़, चार लाख, चालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल के लिए उनचास करोड़, इक्कीस लाख, बयासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य के लिए छह सौ उनतालीस करोड़, चौंतीस लाख, अस्सी हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(6) श्री अभय कुमार मिश्रा
(7) श्री श्रीकांत दुबे
(8) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
(9) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(10) राव देशराज सिंह यादव
(11) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(12) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया
(13) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(14) डॉ. बाबूलाल वर्मा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) का पुरःस्थापन किया।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के पत्र विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि-

"डॉ. कल्पना परूलेकर, माननीय सदस्य ने दिनांक 19 मार्च, 2012 को एक पत्र देकर "सभा परिसर" की स्पष्ट व्याख्या सहित कतिपय बिन्दुओं का स्पष्टीकरण मुझसे चाहा है। मैंने सदन में यह आश्वस्त किया था कि इस मामले में, मैं व्यवस्था दूंगा।

पत्र का परीक्षण करने पर मैंने पाया कि पत्र में अधिकतम आरोप आसंदी पर ही हैं और माननीय सदस्य ने मेरी कार्यशैली पर भी आक्षेप लगाए हैं। ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि पत्र में उठाए गए मुद्दों पर अंतिम निर्णय मैं बिना किसी से राय मशविरा किए ले लूं। क्योंकि हो सकता है कि इसे भी मेरी एकतरफा कार्यवाही या पूर्वाग्रह मान लिया जाए। इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं का परीक्षण सदन की ही कोई समिति करे और समिति जिसमें सभी दलों के सदस्य रहते हैं, अपनी अनुशंसाएं व अभिमत मुझे दे। तदोपरान्त ही मैं इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेकर अपनी व्यवस्था दूं। अत: निम्नलिखित बिन्दुओं का परीक्षण और जांच कर अपनी अनुशंसा देने के लिए विशेषाधिकार समिति को अधिकृत करता हूँ :-

1. क्या माननीय सदस्य, डॉ. कल्पना परूलेकर का कृत्य संसदीय परम्पराओं के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त है ? और क्या उनका यह कृत्य संविधान के अनुच्छेद-194 में माननीय सदस्यों को मिले विशेषाधिकार के भीतर है और उसे संविधानिक विशेषाधिकारों का संरक्षण प्राप्त है ?
2. क्या विधान सभा परिसर में माननीय सदस्य के किसी कृत्य के आधार पर कोई व्यक्ति, दल, संस्था या अन्य शासन के किसी फोरम में शिकायत कर सकता है और क्या उसकी शिकायत पंजीबद्ध की जा सकती है।
3. क्या "सभा परिसर" में किसी माननीय सदस्य का कोई कृत्य या उसका कथन उसे मिले संवैधानिक विशेषाधिकार के अंतर्गत है ?
4. विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों व माननीय अध्यक्ष के स्थाई आदेशों में दी गई "सभा परिसर" की परिभाषा में क्या कोई विसंगति है ? इस आशय का परीक्षण।
5. माननीय सदस्य द्वारा पत्र में लगाये गये आरोपों, कथनों की प्रासंगिकता की जांच व अनुशंसा।
6. अन्य विषय, जो समिति उचित समझे।

उपरोक्त बिन्दुओं पर समिति परीक्षण व जांच कर अपनी अनुशंसा मुझे अधिकतम एक माह में देगी। मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि समिति का प्रतिवेदन आ जाने के बाद में इस संबंध में अंतिम निर्णय लूंगा और यथासमय सदन को भी अवगत कराऊंगा।"

अपराह्न 8.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2012 (चैत्र 6, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 22 मार्च, 2012